उत्तर प्रदेश शासन

ग्राम्य विकास अनुभाग-7

संख्या- 28/2018/1512/अड़तीस-7-2018-296नरेगा/2013

लखनऊः दिनांकः 20 अगस्त, 2018

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005(अधिनियम संख्या 42 सन् 2005) की धारा 32 की उप-धारा(2) के खण्ड(ग) के साथ पठित उक्त धारा की उप-धारा(1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल जिस नियमावली को बनाने का प्रस्ताव करते हैं, उसका निम्नलिखित प्रारूप उक्त अधिनियम की धारा 32 की उप-धारा(1) की अपेक्षानुसार आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किये जाने की दृष्टि से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है;

आपत्तियां और सुझाव, यदि कोई हों, प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश शासन, ग्राम्य विकास अनुभाग-7, बहु खण्डी भवन, लखनऊ को सम्बोधित करके लिखित रूप में प्रेषित किये जायेंगे।

केवल उन्हीं आपत्तियों एवं सुझावों पर विचार किया जायेगा, जो इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से 15 दिनों के भीतर प्राप्त होंगे।

प्रारूप नियमावली

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी(विलम्बित मजदूरी संदाय हेतु प्रतिकर) नियमावली 2018

संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ

1(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी(विलम्बित मजदूरी संदाय हेतु प्रतिकर) नियमावली, 2018 कही जायेगी;

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा;

(3) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएं

2 (1) जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में:-

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 से है;

(ख) ''एमआईएस'' का तात्पर्य ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थापित और प्रबंधित ऑनलाइन प्रबंधन सूचना प्रणाली www.nrega.nic.in से है;

(ग) "कार्यक्रम अधिकारी" का तात्पर्य कार्यान्वयन अभिकरण के खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी से है;

(घ) "धारा" का तात्पर्य अधिनियम की किसी धारा से है;

(ड) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से है;

(च)"मजदूरी दर" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 6 के अधीन अकुशल श्रमिकों के लिए भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित मजदूरी दर से है;

(2) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में परिभाषित है।

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रतिकर

3(1) अन्य बातों के साथ-साथ धारा 3 में यह उपबन्ध है कि ऐसे प्रत्येक व्यक्ति, जिसने योजना के अधीन दिया गया कार्य किया हो, को किसी भी स्थिति में मस्टर रोल बंद होने के पश्चात् पन्द्रह दिन के भीतर साप्ताहिक आधार पर मजदूरी दर से मजदूरी प्राप्त करने का हक होगा। यदि पंद्रह दिनों के भीतर मजदूरी का संदाय नहीं किया जाता है तो उक्त व्यक्ति को अनुसूची-दो के प्रस्तर-29 के उप प्रस्तर(1) के अधीन विलम्बित संदाय के लिए प्रति विलम्बित दिन असंदत्त मजदूरी के 0.05 प्रतिशत की दर से प्रतिकर प्राप्त करने का हक होगा;

(2) अनुसूची-दो के प्रस्तर 29 के उप प्रस्तर(1) के खण्ड(1) के अधीन यह उपबन्ध है कि संदेय होने के दिनांक से पन्द्रह दिनों की अवधि के परे प्रतिकर के संदाय में किसी प्रकार के विलम्ब होने पर विचार उसी रीति से किया जायेगा जैसा कि मजदूरी संदाय के विलम्ब में किया जाता है;

(3) अधिनियम की अनुसूची-दो के प्रस्तर 29 के खण्ड 1 के उपखण्ड(घ) के अधीन यह उपबन्ध है कि ''राज्य सरकार ऊपर यथा विनिर्दिष्ट समय सीमाओं के भीतर सम्यक् सत्यापन के पश्चात यथा विहित प्रतिकर का संदाय करेगी और ऐसे कृत्यकारियों या अभिकरणों, जो संदाय में विलम्ब के लिए उत्तरदायी हों, से प्रतिकर धनराशि वसूल करेगी।''

प्रतिकर देयता और संदाय का निर्धारण

4- विलम्बित संदाय पर प्रतिकर भी देय दिनांक के पन्द्रह दिन के भीतर प्रदान किया जायेगा। प्रतिकर संदाय में विलम्ब का निस्तारण उसी प्रकार से किया जायेगा जैसा कि मजदूरी संदाय में विलम्ब पर किया जाता है। कार्यक्रम अधिकारी प्रतिकर देयता प्रारम्भ होने के पन्द्रह दिन के भीतर नरेगा साफ्ट द्वारा की गयी गणनाओं का युक्ति युक्तपूर्वक परीक्षण करने के पश्चात प्रतिकर के संदाय/असंदाय पर विनिश्चय करेगा। वह दावे को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकता/सकती है। यदि दावा अस्वीकृत कर दिया जाता है तो कार्यक्रम अधिकारी को ऐसी अस्वीकृति के कारणों का विर्निदिष्ट रूप में उल्लेख करना होगा, जिसकी उपधारणात्मक श्रेणी निम्नवत् होगी:-

(एक) प्राकृतिक आपदा

(दो) प्रतिकर देय नहीं ।

उत्तरदायित्व निर्धारण

5- विलम्बित मजदूरी संदाय के लिए अधिकारियों / कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारण के लिए, भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधिसूचना संख्या-का0-आ-19(क) दिनांक 3 जनवरी, 2014 की अनुसूची-दो का प्रस्तर-29 प्रयोज्य होगा।

6- अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कार्य निस्तारण की समय सीमा वही होगी जो नीचे अनुसूची में उल्लिखित है:-

अनुसूची

क्रसं0	कार्य का नाम	विलम्बित संदाय की गणना हेतु प्रारम्भिक दिवस	कार्य के लिये उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम	कुल दिवसों की संख्या
1	(1) बंद होने के पश्चात विकास खण्ड कार्यालय में मस्टर रोल जमा करना;	मस्टर रोल के बंद होने के दिनांक से	(1) ग्राम रोजगार सेवक जहां ग्राम पंचायत क्रियान्वयन अभिकरण हो। (2) सचिव, ग्राम पंचायत, जहां ग्राम रोजगार सेवक ग्राम पंचायत में नियुक्त न किया गया हो।	एक दिवस (T+1)

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

			(3) अन्य क्रियान्वयन अभिकरणों की स्थिति में कार्य प्रभारी।	
	(2)नरेगा सॉफ्ट पर मस्टर रोल की फीडिंग।	विकास खण्ड कार्यालय में मस्टर रोल की प्राप्ति के दिनांक से।	(1)विकास खण्ड कार्यालय में मस्टर रोल प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी कर्मचारी। (2) नरेगा साफ्ट पर फीड करने हेतु उत्तरदायी कम्प्यूटर आपरेटर	एक दिवस (T+2)
2	(1) कार्य को मापने के पश्चात विकास खण्ड कार्यालय में माप पुस्तिका (एमबी) जमा करना।	नरेगा साफ्ट पर मस्टर रोल फीडिंग के दिनांक से।	(1) तकनीकी सहायक या उसके लिए।	दो दिवस (T+4)
	(2) नरेगा साफ्ट पर कार्य की माप को फीड करना।	विकास खण्ड कार्यालय में एम0बी0 की प्राप्ति के दिनांक से	(1) अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी (2) नरेगा साफ्ट पर फीडिंग के लिए उत्तरदायी कंप्यूटर ऑपरेटर	एक दिवस (T+5)
3	मजदूरी सूची जनित करना।	एम0आई0एस0 पर एम0बी0 के फीडिंग के दिनांक से।	(i)अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी। (ii)कम्प्यूटर आपरेटर।	एक दिवस (T+6)
4	निधि अंतरण हेतु एफ0टी0ओ0 जनित करना एवं हस्ताक्षरित किया जाना।	मजदूरी सूची जनित किये जाने के दिनांक से	(1) लेखाकार/ सहायक लेखाकार	एक दिवस (T+7)
5	द्वितीय हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित निधि का अंतरण आदेश	प्रथम हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर के दिनांक से	(1) कार्यक्रम अधिकारी	एक दिवस (T+8)

टिप्पणी।

1- उपर्युक्त अनुसूची में उल्लिखित क्रियाकलापों को पूरा कराने का पूर्ण उत्तरदायित्व, क्रियान्वयनकर्ता अभिकरणों के कार्यक्रम अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी, कार्यक्रम अधिकारी का होगा।

2- उपर्युक्त अनुसूची विकास खण्ड कार्यालय को उदाहरण मानते हुए तैयार की गयी है। क्रियान्वयनकर्ता अभिकरणों के मामलों में यदि समकक्ष अधिकारियों/कर्मचारियों के पद और नाम में भिन्नता होती है तो

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों के दायित्व निर्धारण की जिम्मेदारी सम्बन्धित विभाग की होगी, जिस पर जिला मजिस्ट्रेट/जिला कार्यक्रम समन्वयक का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

3- यदि उक्त क्रियाकलाप से सम्बन्धित कोई कर्मचारी/अधिकारी अवकाश पर जाता है और उसके स्थान पर उक्त कार्य को सम्पादित करने के लिये वैकल्पिक व्यवस्थास्वरूप अभिनियोजित किया गया कर्मचारी/अधिकारी भी उस अवधि के विलम्ब के लिए उत्तरदायी होगा। क्रियान्वयनकर्ता अभिकरणों के कार्यक्रम अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी, कार्यक्रम अधिकारी वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

विशेष परिस्थितियां

7. उपर्युक्त अनुसूची में उल्लिखित समय सीमा के आधार पर मजदूरी के संदाय में विलम्ब के लिए अधिकारी या कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते समय कार्यक्रम अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी, द्वारा निम्न परिस्थितियों का संज्ञान लिया जायेगा -

(एक) दैवीय आपदा अथवा ऐसी परिस्थिति, जो संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के नियन्त्रण के परे हो, के दौरान ऐसी अवधि को शून्य अवधि के रुप में माना जाना चाहिए।

(दो) शासकीय अवकाश दिवसों को शून्य अवधि के रुप में माना जाना चाहिए।

(तीन) कानून व्यवस्था की विपरीत या आपात परिस्थिति की अवधि को शून्य अवधि के रुप में माना जाना चाहिए।

(चार) भारत सरकार की वेबसाईट में तकनीकी व्यवधान के दौरान की अवधि को शून्य अवधि के रुप में माना जाना चाहिए।

(पांच) इन्टरनेट प्रणाली के ब्रेकडाउन होने की अवधि को शून्य अवधि के रुप में माना जाना चाहिए।

वित्तीय प्रबन्धन

8 (1) विलम्बित संदाय के सापेक्ष प्रतिकर का संदाय, राज्य रोजगार गारण्टी निधि के प्रतिकर सम्बन्धी बैंक खाता से किया जायेगा। यह संदाय मजदूरी की भांति, निधि अंतरण आदेश के माध्यम से किया जायेगा। इस प्रयोजनार्थ राज्य रोजगार गारण्टी निधि के प्रतिकर सम्बन्धी बैंक खाते को, नरेगासाफ्ट से जोड़ा जायेगा।

(2)राज्य रोजगार गारण्टी निधि के राज्यांश से अग्रिम धनराशि, राज्य रोजगार गारण्टी निधि के प्रतिकर संबंधी बैंक खाते में प्रदान की जायेगी। इस खाते का संचालन राज्य रोजगार गारण्टी निधि के खाते की भांति किया जायेगा।

(3) इस खाते से होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति, विलम्ब के लिए उत्तरदायी ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन/मानदेय से वसूल की गयी धनराशि से की जायेगी, जिनके द्वारा निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूरा न किये जाने के कारण उक्त प्रतिकर देय हुआ है। अधिकारियों/कर्मचारियों से प्रतिकर की वसूली, उनके उत्तरदायित्व के अनुपात में की जायेगी।

(4) इस प्रकार वसूल की गयी धनराशि, राज्य रोजगार गारण्टी निधि के प्रतिकर संबंधी बैंक खाते में जमा की जायेगी। जिले, प्रत्येक माह अपने खातों में जमा की गयी धनराशि की सूचना, राज्य मनरेगा प्रकोष्ठ, उत्तर प्रदेश को उपलब्ध करायेंगे।

अपील

9(1) जिला कार्यक्रम समन्वयक/जिला मजिस्ट्रेट श्रमिकों के लिए समय से मजदूरी संदाय किये जाने और विलम्ब की स्थिति में समय से प्रतिकर का संदाय किये जाने के संबंध में नियमित अनुश्रवण करेगा।

(2) जिला कार्यक्रम समन्वयक/जिला मजिस्ट्रेट समस्त क्रियान्वयनकर्ता अभिकरणों के प्रतिकर देयता, उत्तरदायित्व निर्धारण इत्यादि से सम्बन्धित विवादों का निस्तारण करेगा। इसके लिए उपायुक्त

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(श्रमरोजगार) मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से आख्या जिला कार्यक्रम समन्वयक/ जिला मजिस्टे[a]ट को प्रस्तुत करेगा। जिला कार्यक्रम समन्वयक/ जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया गया विनिश्चय अन्तिम होगा।

अनुराग श्रीवास्तव
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Uttar Pradesh Shasan

Gramya Vikas Anubhag-7

In pursuance of the provisions of clause(3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1512/XXXVIII-7-2018-296NREGA/2013 dated 20 August, 2018.

NOTIFICATION

No. 1512/XXXVIII-7-2018-296NREGA/2013

Lucknow: Dated : 20 August, 2018

The following draft rules which the Governor proposes to make in exercise of the powers under sub section(1) of section 32 of the National Rural Employment Guarantee Act 2005(Act no. 42 of 2005) read with clause (c) of sub-section(2) of the said section is hereby published with a view to inviting objections and suggestions as required under sub-section(1) of section-32 of the said Act;

Objections and suggestions, if any, shall be send in writing addressed to the Pramukh Sachiva, Uttar Pradesh Shasan, Gramya Vikas Anubhag-7, Bahukhandi Bhawan, Lucknow;

Only such Objections and suggestions as are received within 15 days from the date of publication of this notification in the Gazette shall be taken into consideration.

Draft Rules

The Uttar Pradesh National Rural Employment Guarantee (Compensation For Delayed Payment of Wages) Rules, 2018

Short title, extent and commencement

1 (1) These rules may be called the Uttar Pradesh National Rural Employment Guarantee (Compensation for Delayed Payment of Wages) Rules, 2018;

(2) They shall extend to the whole of Uttar Pradesh;

(3) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है इ अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Definitions

2 (1) In these rules, unless the context otherwise requiring:-

(a) "Act" means the National Rural Employment Guarantee Act, 2005;

(b) "MIS" means online Management Information System established and managed by the Ministry of Rural Development, Government of India.(NREGASoft) www.nrega.nic.in;

(c) "Programme Officer" means the Block Development Officer/ Programme officer of an implementing agency;

(d) "Section" means a section of the Act;

(e) "State Government" means the State Government of Uttar Pradesh;

(f) "Wage Rate" means the wage rate notified by the Government of India or the State Government for unskilled labourers under section 6 of the Act;

(2) Words and expressions used but not defined in these rules shall have the same meaning as defined in the Act ;

Compensation

3 (1) Section 3, inter alia provided that every person who has done the work given to him under the scheme shall be entitled to recieve wages at the wage rate on weekly basis and are in any case within fifteen days after the closure of Muster Roll. If the wages are not paid within fifteen days the said person shall be entitled to receive compensation for the delayed payment under sub para(1) of 29 para of schedule-II at the rate of 0.05% of the unpaid wages per day of delay;

(2) Under clause (a) of sub para- (1) of Para-29 of schedule II it is provided that, "Any delay in payment of compensation beyond a period of fifteen days from the date it becomes payable, shall be considered in the same manner as the delay in payment of wages;

(3) Under sub clause (d) of clause(1) of para 29 of Schedule II to the Act it is provided that "the state government shall pay the compensation as prescribed after due verification within the time limits as specified above and recover the compensation amount from the functionaries or agencies who are responsible for the delay in payment".

Fixation of compensation liability and payment

4- Compensation on delayed payment shall also be made within fifteen days of due date. The disposal of delay in compensation payment shall be done in the same way as delay in payment of wages. The Program

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है इ अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

officer shall take decision on the payment / non payment of compensation after examining calculations done by NREGA soft reasonably within fifteen days of beginning of compensation liability. He/she may grant or reject the claim. If the claim is rejected the Programme Officer shall specifically mention the reasons for such rejection. The presumtive category of such reason shall be as follows:-

(i) Natural calamity

(ii) Compensation is not due.

Fixation of responsibility

5- For fixing the responsibility of officers/employees for delayed payment of wages, Para-29 of Schedule-II Government of India, Ministry of Rural Development notification no. Ka-aa-19(A) dated January 3, 2014 shall be applicable.

6- Time limit for disposal of work by the officers/employees shall be as mentioned in the Schedule below;

SCHEDULE

Sl no	Name of work	Opening day for calculation of delayed payment	Name of officers/ employees responsible for work	Number of total days
1.	(i) Depositing of the Muster roll at block office after closure thereof;	From the date of closing of Muster roll.	(i) Gram Rozgar Sewak where the village panchayat is implementing agency. (ii) Sachiv, Gram panchayat where Gram Rozgar Sewak is not appointed in gram panchayat. (iii) Work incharge- in case of other implementing agencies.	1 day (T+1)
	(ii) Feeding of muster roll on NREGA Soft.	From the date of receipt of muster roll at block office.	(i) Employee re ((i) The employee responsible for receiving muster roll at block office. (ii)Computer operator responsible for feeding on NREGASoft .	1 day (T+2)

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है इ अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2.	(i) depositing of Measurement Book(M.B) at block office after measuring the work.	From the date of Muster Roll feeding in NREGASoft.	(i) Technical assistant or there to.	2 day (T+4)
	(ii)Feeding of measurement of work on NREGASoft	From the date of receipt of M.B. at block office.	(i)Additional programme officer (ii)Computer operator responsible for feeding on NREGASoft	1 day (T+5)
3	Generating of wage- list	From the date feeding of M.B. on MIS	(i)Additional programme officer (ii)Computer operator	1 day (T+6)
4	FTO generation and Signature for transfer of the fund.	From the date of generation of wage-list.	(i)Accountant/Assistant Accountant	1 day (T+7)
5	transfer order of fund signed by Second Signatory	From the date of Signature of First Signatory	(i)Programme officer	1 day (T+8)

Note:-

1. Total Administrative Responsibility of completing the activities mentioned in the above schedule shall be of the Programme officer/ Block Development Officer, Programme officer of implementing agencies.
2. The above schedule has been prepared keeping block development office as example. In case of implementing agencies if the post and name of the equivalent officers / employees are differed the responsibility of fixing liability of such officers/ employees shall be of concerned department on which approval of District Magistrate / District Programme Co-ordinator shall be taken.
3. If any employee/ officer relating to the said activity goes on leave and in place of him/her any employee / officer is deployed as alternative arrangement to perform the said work shall also be responsible for delay. Programme officer/Block Development Officer, Programme officer of an

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है इ .अत .स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

implementing agencies shall be responsible for ensuring alternative arrangements.

Special Circumstances

7- While determining the responsibility of the officer or employee for the delay in payment of wages on the basis of time limit mentioned in the above Schedule the following conditions shall be taken into account by the Programme Officer/block development officer :-

(i) During natural calamity or any such situation as is beyond the control of concerned officer / employee such period should be treated as zero period.

(ii) Government holidays should be considered as zero period.

(iii) The period during odd situation or emergency of law and order should be treated as zero peroid.

(iv) The period during Technical disruption in the Government of India's website should be treated as zero period.

(v) The period during breakdown of internet system should be treated as zero period.

Financial Management

8- **(1)** Compensation against delay payment will be paid from compensation related bank account of state employment guarantee fund. This payment shall be made like wage payment through Fund Transfer Order. For this purpose, compensation related bank account of state employment guarantee fund shall be aided with NREGA soft.

(2) Advance money from state share of state employment guarantee fund will be given to compensation related bank account of state employment guarantee fund. The operation of this account will be on same pattern as state employment guarantee fund account.

(3) The reimbursement of expenditure in this account shall be made from the recovery made from pay / honorarium of officers / employees responsible for delay, by not completing their work in prescribed time limit thereby creating compensation liability. Recovery of compensation from officers / employees shall be made in ratio of their responsibilities.

(4) The recovery so made shall be deposited in compensation related account of state employment guarantee fund. Districts will

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है।अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

inform the amount deposited in their account every month to State MGNREGA Cell, Uttar Pradesh.

Appeal

9 (1) District Programme Co-ordinator / District Magistrate will regularly monitor the timely payment of wages to labourers and in case of delay , timely payment of compensation.

(2) District Programme Co-ordinator / District Magistrate will dispose off the disputes related to compensation liability, fixation of responsibility etc. of all implementing agencies. For this Deputy commissioner (Labour employment) will submit report to District Programme Co-ordinator / District Magistrate through Chief Development Officer. The decision taken by District Programme Co-ordinator / District Magistrate shall be final.

By Order

Anurag Srivastava
Pramukh Sachiv

http://shasanadesh.up.nic.in

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।